

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-29.6.19

संख्या-1/क०रा०बी०यो० 04/19 श्र०सं०.....52...../डॉ० चन्द्र किशोर प्रसाद सिंह, (श्रम संवर्ग), बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कंकड़बाग, पटना को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर एवं बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या-1/क०रा०बी०यो० 04/19 श्र०सं०.....53...../डॉ० सुरेन्द्र राय, (स्वास्थ्य संवर्ग), बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कंकड़बाग, पटना को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त पूर्व से आवंटित सोमवार एवं मंगलवार को कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, पाटलिपुत्र, पटना के कार्य से मुक्त करते हुये बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, हाजीपुर (वैशाली) में प्रत्येक सोमवार एवं मंगलवार का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव।

संख्या-1/क०रा०बी०यो० 04/19 श्र०सं०.....53...../ पटना, दिनांक-29.6.19

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सभी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।